निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025-30

चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025-30 को स्वीकृति दे दी है। यह नीति निर्यातकों द्वारा सामना की जा रही **चुनौतियों का समाधान करने तथा विभिन्न क्षेत्रों में विकास को प्रोत्साहित करने के लिये तैयार की गई है।**

मुख्य बिंदु

- **नीति के बारे में:**
  - इस नीति का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में एक **सुदृढ़ निर्यात पारितंत्र (Export Ecosystem)** विकसित करना है, जो नए तथा स्थापित दोनों प्रकार के निर्यातकों को सहयोग प्रदान करेगा। साथ ही, **वर्ष 2030 तक राज्य के निर्यात को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है।**
- **क्षेत्रवार प्राथमिकता:**
  - नीति में इलेक्ट्रॉनिक्स, **हस्तशिल्प**, इंजीनियरिंग उत्पाद, **वस्त्र उद्योग,** कृषि उत्पाद, रसायन एवं औषधि उद्योग, चमड़े के उत्पाद, खेल उपकरण, काँच व सिरेमिक तथा **सेवा क्षेत्र** (आईटी, शिक्षा, चिकित्सा, पर्यटन और लॉजिस्टिक्स) जैसे प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है।
- **एक ज़िला एक उत्पाद (ODOP) पर ज़ोर:**
  - नीति में **एक ज़िला, एक उत्पाद (ODOP)** के अंतर्गत आने वाले उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने पर ज़ोर दिया गया है, ताकि राज्य के पारंपरिक व स्वदेशी उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों तक पहुँचाया जा सके।
- **प्रोत्साहन:** इस नीति के अंतर्गत नए निर्यातकों और **स्टार्टअप्स** को विशेष प्रोत्साहन प्रदान किये जाएंगे, जिसमें शामिल हैं:
  - **वित्तीय सहायता: डिजिटल मार्केटिंग** एवं उत्पाद कैटलॉगिंग हेतु अधिकतम 1 लाख रुपये।
  - **वर्चुअल मेले:** वर्चुअल प्रदर्शनी आयोजन हेतु अधिकतम 25,000 रुपये।
  - **निर्यात प्रमाणन:** अंतर्राष्ट्रीय उत्पाद प्रमाणन हेतु 75% या अधिकतम 25 लाख रुपये तक का व्यय वहन।
  - **प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन:** निर्यातकों को निर्यात प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहनों से लाभ मिलेगा, जिनमें **निर्यात ऋण बीमा सहायता** तथा **ECGC कवरेज व्यय** हेतु अनुदान शामिल हैं, जिनका उद्देश्य निर्यात प्रदर्शन को सुदृढ़ करना है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/export-promotion-policy-2025-30